राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/2/2021 जयपुर, दिनांकः 21.05.2021

जिला कलेक्टर,
चुरु।

विषय– कोविड–19 से संक्रमित मरीजों का निजी अस्पतालों में उपचार किये जाने की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ– आपका पत्र क्रमांक एफ.36(1)(1)विकास/चिकित्सा/2021/10809–11 दिनांक 18.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.03.2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा राजस्थान महामारी रोग अधिनियम, 1957 की धारा 2 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली समस्त शक्तियों के उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग हेतु राज्य के जिला कलेक्टरों को अधिकृत/सशक्त किया गया था। अतएव सम्बधित जिले में जिला कलेक्टर उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के निजी अस्पतालों को कोविड–19 के उपचार हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम हैं। तद्नुसार कार्यवाही करने का श्रम करावें।

भवदीय,

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 27.03.2020

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– निजी अस्पतालों को (COVID-19) संक्रमण से बचाव हेतु आरक्षित/ चिन्हित करने के संबंध में।

विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.03.2020 के द्वारा राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाले समस्त शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको भी अधिकृत/सशक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के क्रम में आप अपने जिले के सबसे बडे निजी अस्पताल को कोराना वायरस (COVID-19) संक्रमण के इलाज हेतु आरक्षित/ चिन्हित करते हुए इन निजी अस्पतालों की सूची ई–मेल आई डी. phs@rajasthan.gov.in एवं ceo-rshaa@gov.in पर तत्काल भिजवायें।

संलग्न : अधिसूचना दिनांक 11.03.2020 की प्रति

27/03/20
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MEDICAL, HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

No F9(58)M&H/2/09/Part date: 11-03-2020

NOTIFICATION

Whereas it is expedient to make provision for the prevention of the outbreak or spread of dangerous epidemic diseases in the State of Rajasthan.

And whereas, the State Government of Rajasthan has ascertained that the Corona (COVID-19) constitutes a dangerous communicable disease which has the potential of assuming epidemic proportions unless special measures are taken in the State of, Rajasthan.

Now, therefore in addition to this Department Notification No. F. 3(8)MPH/65/Gr-II, dated 4-12-65, published in Rajasthan Gazette, Part IV-C, Ordinary, dated 17-2-1966 and, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with sub-section (4) of section 2 of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957 (Rajasthan Act 31 of 1957), the State Government hereby empowers all the Collectors of the districts to exercise in relation to their respective districts all the powers exercisable by the State Government under section 2 of the said Act , other than the powers to determine in what manner and by whorn any expenses incurred (including compensation if any), shall be defrayed :

Provided that the powers to prescribe regulation under sub-section (1) and (2) of the said section shall. be exercised by the collectors of the said Districts in consultation. with Director of Medical and Health Services, (Public Health) Rajasthan, Jaipur .

By order

11/03/2020

(Rohit Kumar Singh)
Addl. Chier Secretary to Government

Scanned with CamScanner